प्रेषक,   संख्या-15(1)/70-6-99-9(11)/99

[illegible]
[illegible]
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

कुलसचिव,
राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4   लखनऊ: दिनांक 16 सितम्बर, 99

विषय- राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद में पद सृजन तथा अनुदान की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कुलपति, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के पत्र सं. आर.मु./वी.सी./110/99, दिनांक 4.5.99, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में संलग्नक में अंकित पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनमान में 29.2.2000 तक अस्थाई रूप से सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, शर्त है कि यह पद बिना किसी सूचना के भविष्य में समाप्त भी कर दिये जायेंगे। उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य कार्यों को देखते हुए [illegible]

2. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय उक्त स्वीकृत पदों के वेतनादि पर होने वाले व्यय के लिए एवं अन्य आवश्यक आकस्मिक व्यय हेतु चालू वित्तीय वर्ष 1999-2000 में आयोजनागत मद से प्रथम किस्त के रूप में रुपये 45,00,000/= (रुपये पैंतालीस लाख मात्र) की धनराशि स्वीकृत किये जाने की सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं।

3. चूँकि उक्त स्वीकृत व्यय आवश्यक एवं अपरिहार्य है और आय-व्ययक में इस हेतु कोई प्राविधान नहीं है, अतः श्री राज्यपाल महोदय रू0 45,00,000/=(रू0 पैंतालीस लाख मात्र) की धनराशि राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वरूप आहरित किये जाने की भी सहमति प्रदान करते हैं।

4. प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि का बिल [illegible] निदेशक, उच्च शिक्षा इलाहाबाद को प्रस्तुत किया जायेगा। उसके पश्चात् धनराशि कोषागार से आहरित करके विश्वविद्यालय के कोषागार में [illegible] पी.एल.ए. में [illegible] की जायेगी ।

Registrar
U.P. Rajarshi Tandon Open University
Prayag

5. स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं कार्यों हेतु किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। अवशेष धन से अथवा इसका कोई भी भाग अन्य कार्यों के लिये किसी भी दशा में उपयोग में नहीं लाया जायेगा।

6. इस अनुदान पर वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय 16 क में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।

7. उपकरणों आदि का क्रय स्टोर्स [illegible] नियमों के अनुसार किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र पर शीघ्रातिशीघ्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपयोगिता प्रमाण-पत्र [illegible] प्राप्त होने के पश्चात् ही अवशेष धनराशि की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

8. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 1999-2000 में प्रथमतः लेखा शीर्षक "8000-आकस्मिकता निधि" में डाला जायेगा तथा अन्ततः अनुदान संख्या-73 शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा के अधीन लेखा शीर्षक "2202-सामान्य शिक्षा आयोजनागत-03-विश्वविद्यालय तथा उच्च [illegible] शिक्षा-102-विश्वविद्यालयों को सहायता-42 राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता" के नामे डाला जायेगा।

उपरोक्तानुसार-संलग्नक

भवदीय,

(एस०डी० [illegible])
विशेष कार्याधिकारी

वित्त विभाग

संख्या-ई-11-सी०[illegible]/97/दस-1999, तद्दिनांक

प्रतिलिपि महालेखाकार, लेखा प्रथम, उ०प्र०, इलाहाबाद को एक अतिरिक्त प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

आज्ञा से,

रविन्द्र कुमार [illegible]
उपसचिव,
वित्त विभाग

संख्या-1500(1)/70-5-99-9(1)/99, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा व हकदारी प्रथम/द्वितीय उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा उ०प्र०, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
4. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, इलाहाबाद।
5. वित्त व्यय नियंत्रण-11
6. माननीय मंत्री जी उच्च शिक्षा के निजी सचिव।
7. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा के निजी सचिव।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस०डी० [illegible])
विशेष कार्याधिकारी

Registrar
U.P. Rajarshi Tandon Open University
Prayagraj

शासनादेश संख्या- 1506/70-4-99-[illegible] दिनांक [illegible]

क्र.सं.	पदनाम	पदों की सं.	वेतनमान/वेतन बैंड
1.	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	16400-22400
2.	उप कुलसचिव	1	12000-18300 प्रोफेसर विभागाध्यक्ष/ [illegible] अध्यापकों में से प्रति नियुक्ति पद
3.	आचार्य	1	16400-22400
4.	उपाचार्य	2	12000-18300
5.	प्रवक्ता	1	8000-13500
6.	प्रोग्रामर	1	8000-13500
7.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	1	5500-9000
8.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	3	4000-6000
9.	वरिष्ठ आशुलिपिक	1	4500-7000
10.	लेखाकार	1	5000-8000
11.	वरिष्ठ/कनिष्ठ लेखा लिपिक	1	3050-4590
12.	पुस्तकालय लिपिक	1	3050-4590
13.	[illegible]	1	4500-7000
		16 पद	

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

[illegible]

(हस्ताक्षर) 13/08/2020

Registrar
U.P. Rajarshi Tandon Open University
Prayagraj

संख्या- 314 /70-4/2006-9(11)/99

प्रेषक,

ओम प्रकाश सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति/वित्त अधिकारी/कुलसचिव,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 03 जनवरी, 2006

विषय:- उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में शिक्षक/शिक्षणेत्तर पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कुलसचिव के पत्रांक-आर0यू0/3242/2005, दिनांक 7.1.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय विश्वविद्यालय के लिए संलग्नक में उल्लिखित शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर आदि के विभिन्न श्रेणियों के कुल 47 अस्थायी पदों को दिनांक 28 फरवरी, 2007 तक के लिए, यदि उक्त पद इससे पहले बिना पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिए जायें, सृजित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि इन पदों पर नियुक्ति करते समय समस्त आरक्षण संबंधी प्रचलित नियमों/प्रक्रियाओं व नियुक्ति प्रक्रिया का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाय। स्वीकृत पदों पर वही वेतनमान तथा अन्य सुविधाएं अनुमन्य होंगी, जो शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत की जायेंगी।

3- उपरोक्त पदों पर होने वाले व्यय का वर्ष 2006-07 में 10 प्रतिशत विश्वविद्यालय द्वारा निजी स्रोतों से वहन किया जायेगा। इसके बाद वर्ष 2007-08 में 20 प्रतिशत तथा अनुवर्ती वर्षों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत अ

......2/-

Registrar
U.P. Rajarshi Tandon Open Univer
Prayagraj

दर से अथवा: वृद्धि करते हुए व्ययभार विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा।

4- विश्वविद्यालय के उक्त सृजित पदों पर नियुक्तियाँ पद सृजित होने पर नियमानुसार गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी।

5- ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-11/210/दस-2006, दिनांक 25.1.2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(ओम प्रकाश मिश्र)
उप सचिव।

संख्या- 314 (1)/70-1/2006, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11।
6. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश मिश्र)
उप सचिव।

Registrar
U.P. Rajarshi Tandon Open Univer
Prayagraj

शासनादेश संख्या– 314 /70–4/2006–9(1)/99, दिनांक 03 फरवरी, 2006 का संलग्नक

शैक्षणिक/शिक्षणेत्तर पद –

क्र0	पदनाम	पदों की सं0	वेतनमान	अर्हताएं
1.	निदेशक	02	16400–22400	यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित अर्हताएं।
2.	आचार्य	01	16400–22400	
3.	उपाचार्य	02	12000–18300	
4.	प्रवक्ता	04	8000–13500	
5.	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	01	8000–13500	
6.	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–1	15	4000–6000	(1) मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा के साथ इण्टरमीडिएट या डी.ओ.ई. से 'ओ' स्तर के प्रमाण पत्र के साथ इण्टरमीडिएट (2) डास/यूनिक्स/विन्डोज के अंतर्गत कार्यरत वातावरण में एम0एस0आफिस/लोटस/स्मार्ट सूट आदि जैसे भिन्न–भिन्न साफ्टवेयरों पर अंग्रेजी एवं हिन्दी में डाटा इन्ट्री का अच्छा ज्ञान। (3) नॉवल और विन्डो एनटी जैसे नेटवर्किंग वातावरण का एक्सपोजर। (4) हिन्दी तथा अंग्रेजी में कम–से–कम 25 तथा 40 शब्द प्रति मिनट टंकण गति।
7.	वरिष्ठ आशुलिपिक	01	4500–7000	कम्प्यूटर ज्ञान की अर्हता। डी0ओ0ई0ए0सी0सी0सोसाइटी का सीसीसी पाठ्यक्रम अथवा माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित पाठ्यक्रम उपयुक्त है।
8.	कनिष्ठ लिपिक	13	3050–4500	कम्प्यूटर ज्ञान की अर्हता रखना।
9.	सहायक लेखाकार	1	4000–6000	कामर्स ग्रेजुएट या पोस्ट

Registrar
U.P. Rajarshi Tandon Open University
Prayagraj

2-1

10.	निजी सचिव (कुलपति)	01	5500–9000	ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेंसी के साथ कम्प्यूटर संचालन में 'ओ' लेवल का सर्टिफिकेट आवश्यक।
11.	ड्राईवर	01	—	निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भरा जायेगा।
12.	अनुचर (अर्दली 01 पद कुलपति के लिए)	04	2550–3200	रु0 3000/– प्रतिमाह की दर से नियत पारिश्रमिक पर।
	योग–			

03/03/2020

Registrar
U.P. Rajarshi Tandon Open University
Prayagraj

(ओम प्रकाश मिश्र)
अनु सचिव।

संख्या–494/सत्तर–4–2008–[illegible]

[illegible]
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति/वित्त अधिकारी/कुलसचिव,
उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग–4 लखनऊ: दिनांक 11 फरवरी, 2008

विषय– उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के लिये शिक्षक/शिक्षणेत्तर पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कुल सचिव के पत्र संख्या–[illegible]/1007/2006, दिनांक 04–11–2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय विश्वविद्यालय के लिए तृतीय चरण के रूप में [illegible] में [illegible] शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर आदि के विभिन्न श्रेणियों के कुल 61 अस्थायी पदों को दिनांक 29 फरवरी, 2009 तक के लिए, यदि उक्त इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिये जायें, सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि इन पदों पर नियुक्ति करते समय समस्त आरक्षण सम्बन्धी वर्तमान नियमों/प्रतिबन्धों व निर्धारित प्रक्रिया का पूर्ण [illegible] किया जायेगा। स्वीकृत पदों पर वही वेतनमान तथा अन्य सुविधायें अनुमन्य होंगी, जो शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत की जायेगी। उक्त पदों पर नियुक्तियां तभी की जायेंगी, जब [illegible] के लिए [illegible] व्यवस्था हो जायेगी।

3– उपर्युक्त पदों पर होने वाले व्यय को वर्ष 2007–08 में 10 प्रतिशत धनराशि विश्वविद्यालय द्वारा निजी स्रोतों से वहन की जायेगी। इसके बाद वर्ष 2008–09 में 20 प्रतिशत तथा अनुवर्ती वर्षों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की दर से क्रमशः वृद्धि करते हुए व्ययभार विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा।

4– विश्वविद्यालय द्वारा प्रश्नगत पदों पर नियुक्तियां पद विज्ञापित कर नियमानुसार गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी।

5– ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–11/1656/दस–2007, दिनांक 12 सितम्बर, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(पी0एन0 [illegible])
विशेष सचिव।

संख्या–494(1)/सत्तर–4–2008, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार (लेखा) [illegible], इलाहाबाद।
2– निदेशक, उच्च शिक्षा [illegible], इलाहाबाद।
3– निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, [illegible], इलाहाबाद।
4– क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, [illegible]।
5– वित्त (व्यय नियंत्रण) [illegible]।
6– वित्त (वेतन आयोग) [illegible]।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0एन0 [illegible])
विशेष सचिव।

Registrar
U P Rajarshi Tandon Open Univer[illegible]
[illegible]

शासनादेश संख्या-494/79-4-2009-9(1)/95, दिनांक 19 फरवरी, 2009 का संलग्नक

क्र0	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	निदेशक			
2	उपनिदेशक/रीडर	16400-22400	05	यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित अर्हता
3	सहायक निदेशक/प्रवक्ता	12000-18300	02	—तदैव—
4	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	8000-13500	02	—तदैव—
5	उप कुलसचिव (परीक्षा/वित्त/प्रशासन)	8000-13500	01	—तदैव—
		12000-18300	01	विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अर्हता (ओपन विश्वविद्यालय की)
6	सहायक कुलसचिव (परीक्षा गोपनीय/प्रशासन/प्रवेश, पाठ्य सामग्री, वितरण प्रकाशन)	8000-13500	03	—तदैव—
7	आचार्य			(अध्यापकों से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति)
8	उपाचार्य	16400-22400	03	यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित अर्हता
9	प्रवक्ता	12000-18300	02	—तदैव—
	योग	8000-13500	08	—तदैव—
			25 पद	

शिक्षणेतर पद

क्र0	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या	अभ्युक्ति
	छात्र पंजीकरण एवं प्रवेश			
1	वरिष्ठ सहायक	4500-7000	01	कनिष्ठ सहायक से प्रोन्नति द्वारा
2	कनिष्ठ लिपिक	3050-4590	03	कम्प्यूटर ज्ञान आवश्यक
	पाठ्य सामग्री प्रस्तुतीकरण, मुद्रण एवं वितरण			
1	कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड-ए)	4000-6000	01	पूर्व स्वीकृत पद के समान अर्हता
2	कनिष्ठ लिपिक	3050-4590	02	कम्प्यूटर ज्ञान आवश्यक
	क्षेत्रीय कार्यालय			
1	कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड-बी) (03 क्षेत्रीय कार्यालय)	4500-7000	03	विश्वविद्यालय में पूर्व स्वीकृत पद के समान अर्हता
2	कनिष्ठ लिपिक	3050-4590	03	कम्प्यूटर ज्ञान आवश्यक
	परीक्षा गोपनीय			
1	कनिष्ठ लिपिक	3050-4590	02	कम्प्यूटर ज्ञान आवश्यक
	परीक्षा सामान्य			
1	अधीक्षक	5000-8000	01	वरिष्ठ सहायक पद पर 10 वर्ष का कार्य अनुभव
2	कनिष्ठ लिपिक	3050-4590	02	कम्प्यूटर ज्ञान आवश्यक
	पुस्तकालय अनुभाग			
1	पुस्तकालय सहायक/कैटलागर	4500-7000	02	स्नातक के साथ सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस
2	कनिष्ठ लिपिक	3050-4590	02	कम्प्यूटर ज्ञान आवश्यक

129

Registrar
U.P. Rajarshi Tandon Open University
Prayagraj

क्र0	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या	अभ्युक्ति
	कुलपति कार्यालय			
1	कनिष्ठ लिपिक	3050–4590	01	कम्प्यूटर ज्ञान आवश्यक
2	ड्राइवर	3050–4590	01	ड्राइवर पद हेतु निर्धारित अर्हता
	लेखा विभाग			
1	कार्यालय अधीक्षक	5000–8000	01	वरिष्ठ सहायक पद पर 10 वर्ष का कार्य अनुभव
2	सहायक लेखाकार	4000–6000	01	कामर्स ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के साथ डिप्लोमा इन एकाउन्टेंसी के साथ कम्प्यूटर में 'ओ' लेवल का सर्टिफिकेट आवश्यक
3	सहायक लेखाकार	4000–6000	01	—तदैव—
	प्रशासनिक विभाग			
1	अधीक्षक	5000–8000	01	वरिष्ठ सहायक पद पर 10 वर्ष का कार्य अनुभव
2	वरिष्ठ सहायक	4500–7000	01	कनिष्ठ सहायक से प्रोन्नति द्वारा
3	ड्राइवर (स्टाफ कार तथा परीक्षा विभाग के वाहन हेतु)	3050–4590	02	ड्राइवर पद हेतु निर्धारित अर्हता
	विभिन्न विद्या शाखाओं के लिए कर्मचारी			
1	कनिष्ठ लिपिक	3050–4590	05	कम्प्यूटर ज्ञान आवश्यक
	योग–		38 पद	
	कुल योग–		61 पद	

05

(सी0एन0 [illegible])
विशेष सचिव

CHAPTER VIII

APPOINTMENT OF INSTRUCTORS, COURSE WRITERS, SCRIPT WRITERS, COUNSELLORS, CONSULTANTS, PROGRAMME ARTISTS AND OTHER PERSONS NECESSARY FOR THE EFFICIENT FUNCTIONING [Under Statute 3.19]

A. Appointment

(i) The Vice-Chancellor may appoint instructors, course writers, script writers, counselors, consultants, programme artists and such other pesons as may be considered necessary for the efficient functioning of the University.

(ii) The Vice-Chancellor may make short-term appointments for a period not exceeding six months at a time, of such persons as may be considered necessary for the efficient functioning of the University.

B. Manner of Selection

(a) (1) For the purpose of appointment under Statute 3.19(i) the Bio-data of persons working in other universities, research institutions, laboratories, Central or State Government, etc. recommended by Schools of Studies, members of the Committee of Experts/Course-writers, and other sources will be considered by a Committee consisting of a Pro-Vice-Chancellor, the Director of the School and another Director, nominated by the Vice-Chancellor.

(2) If the Committee recommends consideration of any such person for appointment his/her bio-data will be submitted to Vice-Chancellor for approval.

(3) The proposal for appointment of suitable persons will be placed before the Executive Council for its approval.

(4) The terms and conditions of such appointments will be such as may be determined by the Executive Council.

(b) (1) For the purpose of appointment of persons considered necessary for the efficient functioning of the University under statute 3.19(ii) bio-data of such persons shall placed before a committee constituted as under:

Registrar
U.P. Rajarshi Tandon Open University
Prayagraj

1. Vice Chancellor or his nominee - Chairman
2. Registrar - Member
3. Finance Officer - Member

(2) Bio-data of such persons shall be considered by the Committee.

(3) The committee shall make recommendation that a person or persons are suitable for appointment.

(4) The recommendation shall be placed before the Vice-Chancellor for his approval.

(5) The Executive Council shall be informed of such appointments.

(6) The persons so appointed shall be paid monthly honorarium as recommended by the Finance Committee and approved by Executive Council.

(7) Non-skilled persons/workers shall be paid wages on such rates as are applicable in the government departments as per orders of the Finance Department from time to time.

(8) The appointments may be made for a period not exceeding six months at a time.

(9) The traveling allowance of the persons appointed under this chapter shall be such as prescribed by the State Government for its employees.

Provided that when a retired government servant is appointed, he shall be entitled to draw traveling and other allowances on the basis of last pay drawn by him.

Registrar
U.P. Rajarshi Tandon Open University
Prayagraj